तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर य आहकाम हुक्म की में जार
6/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, ...दौरे में.....है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/7/24 को पेश हो।	
22/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, ...दौरे में.....है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/10/24 को पेश हो।	
21/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी क्रम 1 के अभि० उपस्थित। अप्रार्थी क्रम 2 से 5 अनुपस्थित। तीन बार रुक रुक कर आवाज लगाई गई लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी क्रम 2 से 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। उभय पक्ष ने सीधी बहस का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। धारा - 212 RT Act r.w.s 039 R182 CPC के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिए प्रकरण को निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है:- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- अभि० प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि ग्राम हेमड़ा की वाद[illegible] आराजी खाता संख्या 474 [illegible] प्रार्थीगण की पैतृक [illegible] है [illegible] में अप्रार्थी क्रम 1 के खाते दर्ज है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी क्रम 1 के वारिसान है। वादग्रस्त आराजी मूलत: अप्रार्थी क्रम 1 के पिता मोहनलाल पुत्र सीताराम के खाते दर्ज थी जो उनकी मृत्यु के	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:35:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	बाद उनके वारिसान यानी अप्रार्थी क्रम 1 व अन्य वारिसान – अप्रार्थी 2 व 3 के खाते दर्ज हुई थी। पैतृक संपत्ति में, प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहित होने से प्रकरण प्रथम हदतक प्रार्थीगण के पक्ष में है। अधि० अप्रार्थी क्रम 1 ने उपरोक्त बहस का कोई विशेष विरोध नहीं किया। उभय पक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम हेमडा के नामा० सं० 9130 दिनांक 05/04/2016 के अनुसार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मोहनलाल (पिता रतिराम) हिस्सा 1/2 की सहखाते में दर्ज थी जो मोहनलाल उपरोक्त के फौत होने पर नामा० पर अंकित सजरे अनुसार अप्रार्थी क्रम 1, 3 व 4 के खाते दर्ज हुई थी। हाल जमाबंदी संवत 2074-77 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 1 हिस्सा 1/6 की सहखातेदारी में दर्ज है। स्पष्ट तथ्य undisputed है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी हिन्दू समुदाय के हैं और प्रार्थीगण, अप्रार्थी क्रम 1 के पुत्र-पुत्री हैं। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा कोई साक्ष्य/जवाब पेश नहीं करने से प्रथम [illegible] साबित है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण [illegible] तक पैतृक आराजी है [illegible] प्रार्थीगण पर [illegible] The Hindu Succession Act 1956 (amended Act 2005) लागू होता है और इसलिए वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का जन्म	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:35:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

से तो $1/6 \times 3/4$ यानी $1/8$ भाग (Notional share) पर हक व अधिकार निहित है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

(ब) सुविधा का सन्तुलन :- प्रथम

प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है। अभि० प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी क्रम 1 आदतन शराबी व सट्टेबाज है और शराब व सट्टे के लिए वादग्रस्त भूमि को बेचने व खुर्द बुर्द करने पर आमदा है।

ग्राम हेमडा की वादग्रस्त आराजी की अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा $1/6$ जो कि प्रथम दृष्टया पैतृक आराजी है, में Hindu Succession Act की धारा 6 व 20 के अनुसार प्रार्थीगण में से प्रत्येक का $1/4$-$1/4$ हिस्सा निहित है अतः अप्रार्थी के हिस्से $1/6$ में $3/4$ भाग तक प्रार्थीगण का Notional share है जिसे बेचने या खुर्द बुर्द करने का अप्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थी 1 अपने सम्पूर्ण हिस्से का रहन, बेचान या खुर्द बुर्द करता है तो प्रार्थीगण को अपने पैतृक संपत्ति के अधि[illegible] से वंचित होना पडेगा। [illegible] इसलिए यदि प्रार्थीगण के पक्ष में Notional share के हद तक स्थगन जारी किया जाता है तो प्रार्थीगण को तुलनात्मक अधिक सुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:35:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(4)

...रीख ...क्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	(द) अपूरणीय क्षति कारित होना :- प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। यदि अप्रार्थी क्रम 1 वादग्रस्त पैतृक आराजी को सम्पूर्ण हिस्से का बेचान करते हैं तो प्रार्थीगण को पैतृक संपत्ति में अपने Notional share से वंचित होने के साथ भरण पोषण की आराजी से भी वंचित होना पड़ेगा अतः प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होना साबित है। अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र u/s 212 RT r.w.O 39 R 1-2 CPC को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त (ग्राम हेमड़ा) आराजी खाता सं० 474 कित्ता 5 रकबा 6.7658 में अपने दर्ज हिस्से 1/6 के 3/4 भाग यानी कुल आराजी में 1/8 भाग का कहीं रहन, बेचान, दान आदि नहीं करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ 21/10/24 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:35:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner